

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा
संख्या-11

एकादश (बजट) सत्र
शुक्रवार, दिनांक:-17 मार्च, 2023 ई०।

समय:-11:00 बजे पूर्वा० से 05:03 अप० तक।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ:-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-19

(क) उत्तरित कुल-05	अ०सू०-18,	डॉ० इरफान अंसारी,	स०वि०स०
	अ०सू०-03,	श्री विनोद कुमार सिंह	स०वि०स०
	अ०सू०-24,	श्री बिरंची नारायण	स०वि०स०
	अ०सू०-47,	श्री राज सिन्हा	स०वि०स०
	अ०सू०-47,	श्री अमित कुमार यादव	स०वि०स०
(ख) स्थगित कुल-02	अ०सू०-38,	श्री सरयू राय	स०वि०स०
	अ०सू०-41,	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	स०वि०स०
(ग) अनागत कुल-12	क्रम संख्या-190 से 201 तक।		

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-65

(क) उत्तरित कुल-03	क्र०सं०-451,	श्री अमित कुमार मण्डल	स०वि०स०
	क्र०सं०-452,	श्री लोबिन हेम्ब्रम	स०वि०स०
	क्र०सं०-453,	श्री आलोक कुमार चौरसिया	स०वि०स०
(ख) स्थगित कुल-01	क्र०सं०-454,	श्री दिनेश विलियम मराण्डी	स०वि०स०
(ग) अनागत कुल-61	क्रम संख्या-455 से 515 तक।		

(प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण ने व्यवस्था के प्रश्न पर आसन से आग्रह किया कि अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर माननीय सदस्य श्री नारायण दास एवं माननीय सदस्या डॉ० नीरा यादव सदन के बाहर धरना पर बैठे हैं, जिन्हें ससम्मान सदन में लाया जाय। तदुपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय

सदस्या श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की एवं माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महान्ती को अधिकृत किया कि वे दोनों धरना पर बैठे माननीय सदस्यों को सदन के अंदर ससम्मान ले आयें।

पुनः माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण ने व्यवस्था के प्रश्न पर आसन का ध्यानाकृष्ट कराते हुए कहा कि सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। परम्परा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुपस्थिति में संसदीय कार्यमंत्री सदन के अंदर अवश्य उपस्थित रहते हैं। परन्तु आज दोनों अनुपस्थित हैं, जो खेदजनक है। कृपया इसे संज्ञान में लिया जाय।)

2. सूचना

माननीय सदस्य डॉ० लम्बोदर महतो ने सूचना दिया कि दिनांक-11.03.2023 को बोकारो जिला के जरण्डी (ऊपर बंगला) के श्री शांतिपद गोरई पर चार लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई है। गोली कमर में फंसी हुई है और दिनांक-14.03.2023 से वह रिम्स में मर्ती है, जहाँ आज तक चिकित्सक द्वारा गोली निकालने संबंधी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उनके जान को खतरा है। साथ ही आसन से अनुरोध किया कि उक्त व्यक्ति के कमर से गोली निकलवाने की पहल करने हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री को आसन से निदेश दिया जाय। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे संज्ञान में लेने हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री को निदेश दिया गया।

3. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:-

श्री जयप्रकाश भाई पटेल	स०वि०स०
श्री उमाशंकर अकेला	स०वि०स०
डॉ० इरफान अंसारी	स०वि०स०
श्री रामचन्द्र सिंह	स०वि०स०
श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	स०वि०स०
श्री मथुरा प्रसाद महतो	स०वि०स०
श्री मंगल कालिन्दी	स०वि०स०
श्री केदार हजरा	स०वि०स०
श्री दशरथ गागराई	स०वि०स०
श्री निरल पुरती	स०वि०स०
श्री अमित कुमार यादव	स०वि०स०
श्री भूषण तिर्की	स०वि०स०
श्री समीर कुमार महान्ती	स०वि०स०
श्री राजेश कच्छप	स०वि०स०
श्री भूषण बड़ा	स०वि०स०
श्री आलोक कुमार चौरसिया	स०वि०स०
श्री अमर कुमार बाउरी	स०वि०स०
श्री राज सिन्हा	स०वि०स०
श्री मनीष जायसवाल	स०वि०स०
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स०वि०स०
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स०वि०स०

श्री विनोद कुमार सिंह	स०वि०स०
श्र संजीव सरदार	स०वि०स०
श्री नारायण दास	स०वि०स०
श्री अनन्त कुमार ओझा	स०वि०स०

4. दिनांक-16.03.2023 को सम्पन्न कार्यमंत्रणा समिति द्वारा पारित निर्णय

आसन द्वारा पुकारे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री, श्री आलमगीर आलम ने दिनांक-16.03.2023 को सम्पन्न कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर सहमति हेतु उसकी प्रति सदन में रखा, जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

1. मंगलवार, दिनांक-21 मार्च, 2023 को वित्तीय कार्य के पश्चात् राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) लिये जायें,
2. बुधवार, दिनांक-22 मार्च, 2023 को दूसरी पाली में विनियोग विधेयक के उपस्थापन एवं पारण के पश्चात् राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) लिये जायें,
3. गुरुवार, दिनांक-23 मार्च, 2023 दूसरी पाली में राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) के पश्चात् गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) लिये जायें,
4. शुक्रवार, दिनांक-24 मार्च, 2023 को सभा की बैठक नहीं हो,
5. शेष कार्य यथावत् रहेंगे।

तदुपरान्त कार्यमंत्रणा समिति द्वारा लिये गये निर्णय सभा द्वारा ध्वनिमत से पारित हुआ।

5. समितियों का गठन

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सह मुख्य सचेतक (विरोधी दल)श्री बिरंची नारायण ने झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-237, 239 तथा 241 के अधीन क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव रखा, जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

6. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, डॉ० सरफराज अहमद द्वारा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का 80वाँ प्रतिवेदन झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

7. वित्तीय कार्य

आसन द्वारा पुकारे जाने पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (मांग संख्या-44) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 7,24,69,000/- (सात करोड़, चौबीस लाख, उनहत्तर हजार) रुपये से अनधिक की मांगे सभा में प्रस्तुत की गयी। माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा इस मांग से संबंधित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(तत्पश्चात् 12:37 बजे अप० में सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अप० तक के लिए स्थगित।)

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

8. वित्तीय कार्य (क्रमांक-7 से जारी)

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत मांग पर आसन के निदेश से माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा ने चर्चा प्रारम्भ की। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया:-

डॉ० सरफराज अहमद
डॉ० नीरा यादव
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की
डॉ० लम्बोदर महतो
श्री प्रदीप यादव
श्री विनोद कुमार सिंह
श्री अमित कुमार यादव
श्री मथुरा प्रसाद महतो
श्री सरयू राय

9. सूचना

अनुदान की माँग पर चर्चा के दौरान कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा सदन में विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना दी गई:-

1. माननीय सदस्य श्री नारायण दास ने सूचना देते हुए कहा कि देवघर में लखराज समिति की जमीन है, जिसकी बंदोबस्ती अंग्रेजों के जमाने से ही होती रही है। परन्तु सचिव के पत्र से इसे रोक दिया गया है, लोग आन्दोलनरत हैं।
2. माननीय सदस्य श्री नवीन जयसवाल ने सूचना दिया कि आज भी राँची के सभी समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित किया है कि विधान सभा के बगल में बर झोपड़ी, न्यू कॉलोनी आदि स्लम एरिया है। वहाँ पर हजारों लोग तीन दिनों से मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं। जहाँ पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है। जिससे उनको काफी कठिनाई हो रही है। साथ ही राँची के अन्य स्लम एरिया जैसा-हरमू, मधुकम में भी जलापूर्ति नहीं हो रही है। इन स्लम एरिया के लोगों को यथाशीघ्र पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करायी जाय।
3. माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह ने व्यवस्था पर आसन का ध्यानाकृष्ट कराया कि मैं तीन दिनों से देख रहा हूँ कि जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव ससमय प्रस्तुत करते हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। जबकि जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते हैं उन लोगों को ही बोलने का मौका दिया जा रहा है। यह विडियो फुटेज को देखकर भी पता किया जा सकता है। यह अत्यंत गम्भीर विषय है। कृपया इसका संज्ञान लिया जाय।
4. माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल ने सूचना दिया कि मैं विगत दो-तीन दिनों से यह बात सदन में रखना चाह रहा हूँ कि हजारीबाग में रामनवमी के विषय पर जो विवाद चल रहा है उसे जल्द समाप्त कराया जाय। नौ लोगों पर प्रशासन द्वारा एफ०आई०आर० किया गया है। रामनवमी के अवसर पर डी०जे० नहीं बजेगा यह प्रशासन का फरमान जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध एक बहुत बड़ा दल वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अनुरोध है कि संसदीय कार्यमंत्री इसपर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।

5. माननीय सदस्य श्री भानू प्रताप शाही ने सूचना के माध्यम से आग्रह किया कि माननीय सदस्यों का वेतन-भत्ता में 2016 के बाद कोई संशोधन नहीं हुआ है। महंगाई को देखते हुए इस पर विचार करते हुए माननीय सदस्यों के वेतन एवं भत्ते में संशोधन किया जाय, जिसका समर्थन माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महान्ती एवं माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने भी किया। तत्पश्चात् सदन नेता ने वेतन-भत्ते एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रावधान में संशोधन का आश्वासन दिया।
6. माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप ने सूचना दिया कि प्रखण्ड ओरमाड़ी में आरा किरण नाम के एक आदिवासी बहुल गांव को 2016 में मनरेगा आयुक्त के द्वारा गोद लिया गया था। आज दबंगों के द्वारा वहां के जमीन पर कब्जा किया जा रहा है तथा गरीब आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। मनरेगा द्वारा उन्हें कोई काम भी नहीं मिल रहा है। आग्रह है कि एक कमिटी बनाकर उस पर जाँच करायी जाय तथा वहां के लोगों को न्याय दिलाया जाय।
7. माननीय सदस्य डॉ० शशिभूषण मेहता ने सूचना दिया कि और शहीदों की भांति नीलांबर-पीताम्बर का भी मूर्ति विधान सभा परिसर में लगाया जाय।
8. माननीय सदस्य श्री दिनेश विलियम मराण्डी ने सूचना के माध्यम से आग्रह किया कि पाकुड़ जिलांतर्गत कस्तुरबा विद्यालय में दस साल से कार्यरत शिक्षकों को डीएसई के द्वारा हटा दिया गया है तथा नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे शिक्षकों को न हटाया जाय।
9. माननीय सदस्य डॉ० इरफान अंसारी ने सूचना के माध्यम से आग्रह किया कि जेएसएससी के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में उर्दू एवं संस्कृत से स्नातक विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्हें भी इस परीक्षा में शामिल करने हेतु सरकार विचार करें साथ ही जामताड़ा कॉलेज में एम०ए०/एम०एस०सी० की पढ़ाई शुरू की जाय।

आसन से पुकारे जाने पर सरकार की ओर से श्री आलमगीर आलम, प्रभारी माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा उत्तर दिया गया, इसके उपरांत अनुदान की माँग सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(चर्चा के क्रम में विपक्षी सदस्यों का 04:45 अप० में सदन से बहिर्गमन)

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही शनिवार, दिनांक-18 मार्च, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक-17 मार्च, 2023

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।